

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/03 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 30th May, 2025

No. HHC/GAZ/14-353/2015-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post-facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 11-11-2024 to 13-11-2024 with permission 88-ব্যাব্যস / 2025–25–07–2025 (4151) to prefix Second Saturday & Sunday fell on 09-11-2024 and 10-11-2024 in favour of Sh. Prateek Gupta, the then Civil Judge-*cum*-JMFC, Chachiot at Gohar, presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur, H.P.

Certified that Sh. Prateek Gupta has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Prateek Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Chachiot at Gohar, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 2nd June, 2025

No. HHC/GAZ/ 14-252/2002-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *expost-facto* sanction of 01 day earned leave for 03-12-2024 in favour of Sh. Vivek Sharma, the then District and Sessions Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P. presently posted as Principal Judge, Family Court, Shimla, H.P.

Certified that Sh. Vivek Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, alter expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 5th June, 2025

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-1, Solan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of

Ms. Divya Jyoti Patial, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Solan *w.e.f.* 16-06-2025 to 21-06-2025 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday falling on 14-06-2025 and 15-06-2025 and to suffix Sunday and Local holiday falling on 22-06-2025 and 23-06-2025 or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 6th June, 2025

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XXII.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Ranjan Sharma, Judge and Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kainthla, Judge as Hon'ble Vacation Judges during ensuing Summer Vacations *w.e.f.* 09.06.2025 to 13.06.2025.

Hon'ble Mr. Justice Ranjan Sharma, Judge shall hold Court on 11-06-2025 (Wednesday) and Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kainthla, Judge on 13-06-2025 (Friday) and the Judicial matters will be listed before the Hon'ble Vacation Judges, on the said dates.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 6th June, 2025

No. HHC/Estt.3(582)/2007.—02 days commuted leave for 23-05-2025 and 24-05-2025 with permission to suffix Sunday on 25-05-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Rajeev Kumar, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajeev Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajeev Kumar would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 12th June, 2025

No. HHC/Estt.3(642)/2009.—13 days earned leave on and *w.e.f.* 16-06-2025 to 28-06-2025 with permission to prefix second Saturday & Sunday falling on 14-06-2025 & 15-06-2025 and suffix Sunday falling on 29-06-2025, is hereby sanctioned in favour of Shri Dayal Singh Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Dayal Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Dayal Singh Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st June, 2025

No. HHC/GAZ/14-397/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 18-11-2024 to 20-11-2024, in favour of Sh. Som Dev, Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla, H.P.

Certified that Sh. Som Dev had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Som Dev would have continued to hold the post of the Mobile Traffic Magistrate, Shimla and Kinnaur at Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st July, 2025

No. HHC/Estt.3(709)/2009.—24 days earned leave in two spells *i.e.* (i) 06 days earned leave *w.e.f.* 21-07-2025 to 26.07.2025 and (ii) 18 days earned leave *w.e.f.* 06-08-2025 to

23-08-2025 with permission to suffix Sunday falling on 24-08-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Kalyan Singh Tanta, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Kalyan Singh Tanta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above leave period.

Certified that Shri Kalyan Singh Tanta would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 23rd July, 2025

No. HHC/15-42/Jus/Acctts/2014.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan, Judge of the Himachal Pradesh High Court, who has been elevated as Chief Justice of the Jharkhand High Court, *vide* Notification No. K.13022/02/2025-US. I, dated 14th July, 2025, issued by Government of India, Ministry of Law & Justice, Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, has ceased to perform the duties of the office of the Judge of this High Court with effect from 23rd July, 2025 (forenoon).

By order (VIKAS BHARDWAJ) Registrar (Vigilance)

SPECIFIC NOTIFICATION FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 24th July, 2025

No. Fin-2-C(12)-1/2025.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 22-year tenure for an aggregate amount of ₹1000 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan:

1. (i) The proceed of the State Government Securities will be utilize for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue:

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders:

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction:

- 4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **July 29, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **July 29, 2025**:
 - (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
 - (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction:

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **July 30, 2025**.

Method of Payment:

6. Successful bidders will make payments on **July 30, 2025** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) /New Delhi.

Tenure:

7. The Stock will be of 22-year tenure. The tenure of the Stock will commence on July 30, 2025.

Date of Repayment:

8. The loan will be repaid at par on July 30, 2047.

Rate of Interest:

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **January 30 and July 30**.

Eligibility of Securities:

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-(DEVESH KUMAR, IAS), Principal Secretary (Finance), to the Government of Himachal Pradesh.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जुलाई, 2025

संख्याः टी०सी०पी०-ए03/2/2022.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा (1) की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अगस्त, 2025 को ऐसी तारीख नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

हस्ताक्षरित / –

(देवेश कुमार), प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम योजना।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A03/2/2022, dated 23-07-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd July, 2025

No. TCP-A03/2/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2024 (Act No. 9 of 2024), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st August, 2025 as the date on which the provisions of the aforesaid Act shall came into force.

Sd/-

(DEVESH KUMAR), Principal Secretary (TCP).

LABOUR, EMPLOYMENT & OVERSEAS PLACEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 05th July, 2025

- **No.** LEP- A004/2/2024.—In exercise of powers conferred by Sections 40 and 62 read with Section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Expert Committee, constituted under section 5 of the said Act is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, notified *vide* this department's notification No. Shram (A)4-6/2007-BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8th December, 2008, namely:—
- 1. Short-title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2025.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
- **2. Amendment of 251.**—In the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) of rule 251.—
 - '(2) The terms of the Chairperson and the members of the Board other than the official members shall be three years from the date of their appointment and Chairperson or any member appointed by the Government may continue in office till his successor is appointed:

Provided that the State Government may remove the Chairperson or any member appointed by it at any time.'

- **3.** Addition of new sub-rule (5) under rule 259.—after sub-rule 259(4) the following new sub-rule shall be added, namely:—
 - "(5) (a) His headquarter will be at the place of Building and Other Construction Workers' Board's headquarter.
 - (b) Pay & Allowances of the Chairman of HP BOCW Welfare Board shall be applicable as admissible to the Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
 - (c) Travelling/ Dearness Allowance: TA/DA and other facilities will be paid @ which are applicable to the Secretary to the Government of Himachal Pradesh. The Hon'ble LE & OP Minister H.P. shall be controlling officer for this purpose."

By order, Sd/-(PRIYANKA BASU INGTY), Secretary (LE & OP).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा

·· प्रतिवादी।

विषय.—–जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3995/2025, दिनांक 15—07—2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र—संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/15195, दिनांक 11—07—2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) विद्यालय त्याग प्रमाण—पत्र जिसमें आवेदक तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रिजस्टर में आवेदक तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 11—07—2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 25—04—1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपित हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में आवेदक तिलक राज पुत्र श्री चुहडू राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्ड़ी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नारो देवी पत्नी स्व0 श्री स्वर्ण सिंह, गांव सीनू, डाकघर चकलू, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

·· प्रतिवादी।

विषय.— मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3983/2025, दिनांक 14—07—2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र—संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/13501, दिनांक 18—06—2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (5) प्रधान रिपोर्ट, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका श्रीमती नारो देवी पत्नी स्व0 श्री स्वर्ण सिंह, गांव सीनू, डाकघर चकलू, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के पति स्व0 श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री हुशियारा राम, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रिजस्टर में आवेदिका के पति स्व0 श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री हुशियारा राम, ग्राम पंचायत चकलू की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 18—06—2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि स्व0 श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री हुशियारा राम, ग्राम पंचायत चकलू, परगना त्रयोदी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 03—12—2006 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के पति स्व0 श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री हुशियारा राम, ग्राम पंचायत चकलू, परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 40 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025-496-97 दिनांक : 16-07-2025

महिंद्र कुमार पुत्र रामू, गांव मुंडाई, डाकघर अथेडगुवालू, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

- 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः—HFW-B&D/CMO-CBA/2025-7432 Dated 02-04-2025.
 - 2. शपथ-पत्र
 - 3. जन्म रिपोर्ट
 - 4. अप्रयाप्ता प्रमाण-पत्र
 - 5. आधार कार्ड
 - 6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक मिहंद्र कुमार पुत्र रामू, गांव मुंडाई, डाकघर अथेडगुवालू, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के बेटे आर्यन कुमार की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रिजस्टर में आवेदक के बेटे आर्यन कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 02—04—2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक मिहंद्र कुमार के पुत्र आर्यन कुमार पुत्र मिहंद्र कुमार, गांव मुंडाई, डाकघर अथेडगुवालू, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 02—10—2019 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में आर्यन कुमार पुत्र मिहंद्र कुमार, गांव मुंडाई, डाकघर अथेडगुवालू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 42 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025—494—95

नरेश कुमार पुत्र मनसा, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करवाल, विकास खण्ड सलूणी

·· प्रतिवादी।

दिनांक : 16-07-2025

विषय.--जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

- 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2025-13129 Dated 12-06-2025.
 - 2. शपथ-पत्र
 - 3. जन्म रिपोर्ट
 - 4. अप्रयाप्ता प्रमाण-पत्र
 - 5. आधार कार्ड
 - 6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक नरेश कुमार पुत्र मनसा, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक नरेश कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 12—06—2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेश कुमार पुत्र मनसा, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 27—07—1988 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपित हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में नरेश कुमार पुत्र मनसा, गांव सिंयार, डाकघर पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

वीर बहादुर पुत्र श्री हरी सिंह, गांव टिकराजान, डा० पुएग, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

ः प्रत्यार्थी ।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

वीर बहादुर पुत्र श्री हरी सिंह, गांव टिकराजान, डा० पुएग, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र मय नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड व शपथ—पत्र सहित पेश किया है कि पटवार वृत्त कुंगश के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं० 735 / 810 में उसका नाम बिटु गलत दर्ज है जबिक प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार बीर बहादुर है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुंगश के राजस्व माल कागजात में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त किया जावे।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त कुंगश को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो व पटवारी कुंगश के आवेदक का नाम पटवार वृत्त के कुंगश के राजस्व रिकार्ड में बिटु गलत दर्ज हुआ है। जबिक प्रार्थी का नाम बीर बहादुर है। अतः प्रार्थी का नाम बिटु की जगह बीर बहादुर दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 25—08—2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि के बाद कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा और प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 15-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आनी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

Before Sh. Mehar Singh, Assistant Collector, 2nd grade, Sub-Tehsil Bagshar, District Mandi (H. P.)

File No.: 10/2025 Date of institution: 27-06-2025

In the matter of:—

Chhayal Singh s/o Mahender, r/o Shaungi, P.O. & Sub-Tehsil Bagshar, District Mandi (H.P.)

. .Applicant.

Versus

General Public ... Respondent.

PROCLAMATION FOR THE CORRECTION OF NAME IN REVENUE RECORDS

An application has been filed by the aforesaid applicant in which he has submitted that his name is registered as Aman in revenue record of Muhal Shaung/254 of village Revenue Circle Bagshar, but his name is Chhayal Singh in Gram Panchayat record and in all other photo ID's. That the applicant requested to change his name in revenue record from Aman to Chhayal Singh.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person has any objection regarding this name correction can file the objection(s) personally or in writing before this court on or before 12-08-2025 from the date of this notice after that no objection(s) will be entertained and the name shall be corrected accordingly.

Issued today on 8th day of July, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Assistant Collector 2nd Grade, Bagshar, District Mandi (H. P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

केस नम्बर : 51 / एन0टी0 / 2025

तारीख पेशी : 08-08-2025

श्रीमती राम देई पुत्री श्री डागु राम, निवासी गांव बलहग, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्रीमती राम देई पुत्री श्री डागु राम, निवासी गांव बलहग, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म 04—12—1958 को गांव बलहग, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ था किन्तु किसी कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत चमुखा के अभिलेख में दर्ज न हो सका है इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित किये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 08—08—2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपित या एतराज हो तो वह 08—08—2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जाएगी तथा श्रीमती राम देई पुत्री श्री डागु राम, निवासी गांव बलहग, डा० जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि दिनांक 04—12—1958 का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चमुखा के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – (राजवीर वर्मा) नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं0 : / 2025

श्रीमती संतोश पुत्री जयमल सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती संतोश पुत्री जयमल सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025—3207, दिनांक 12—06—2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01—07—1965 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कुंजा मतरालियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05—08—2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में संतोश पुत्री जयमल सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ता० मजरुआ: 09-06-2025

ब अदालत श्री प्रकाश चन्द पान्टा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 29 / 13 ऑफ 2025

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी कुन्नी सेर, डा० कोटला बांगी, उप—तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—Proclamation u/s-37 (1) of H.P. Land Rev. Act, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी कुन्नी सेर, डा० कोटला बांगी, उप—तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता० 38 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसका कथन है कि उसका असल नाम गोपाल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ ब्यान हिल्फया, आधार कार्ड, नकल परिवार रिजस्टर, राशन कार्ड प्रति, बैंक पासबुक प्रति, वोटर कार्ड प्रति संलग्न की है। परन्तु राजस्व अभिलेख मोहाल कियों पाब व उपसम्पदा कुन्नी सेर के बाबत खाता/खतौनी नं० 32 मिन/130, 27/109, 9/12 व मिन/9 में गोपाल पुत्र राम स्वरूप के स्थान पर कृष्ण स्वरूप पुत्र राम स्वरूप हो गया है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मोहाल उपरोक्त की मलकीयत भूमि में कृष्ण स्वरूप पुत्र राम स्वरूप के स्थान पर कृष्ण स्वरूप उर्फ गोपाल सिंह पुत्र राम स्वरूप करवाना चाहता है। चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थी का कथन है।

अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में कृष्ण स्वरूप पुत्र राम स्वरूप के स्थान पर कृष्ण स्वरूप उर्फ गोपाल सिंह पुत्र राम स्वरूप करने बारे किसी का कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 09-08-2025 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रात: 10:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत इन्द्राज के आदेश पारित कर दिए

आज दिनांक 09-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रकाश चन्द पान्टा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 27 / 13 ऑफ 2025

ता० मजरुआ: 09-06-2025

श्री रुपेश पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी धामला, डा० सनौरा, उप—तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—Proclamation u/s-37 (1) of H.P. Land Rev. Act, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रुपेश पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी धामला, डा० सनौरा, उप–तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता० 38 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसका कथन है कि उसका असल नाम रुपेश पुत्र जोगेन्द्र सिंह है जिसकी पुष्टि हेत् प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ ब्यान हल्फिया, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड प्रति, बैंक पासब्क प्रति, वोटर कार्ड प्रति संलग्न की है। परन्तू राजस्व अभिलेख मोहाल धामला के खाता/खतौनी नं0 19/68 व 32 / 126 में रुपेश पुत्र जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर सोनू पुत्र जोगेन्द्र सिंह हो गया है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मोहाल उपरोक्त की मलकीयत भूमि में सोनू पुत्र जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर रुपेश उर्फ सोनू पुत्र जोगेन्द्र सिंह करवाना चाहता है। चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थी का कथन है।

अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में सोनू पुत्र जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर रुपेश उर्फ सोनू पुत्र जोगेन्द्र सिंह करने बारे किसी का कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 09-08-2025 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सुरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत इन्द्राज के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 09–07–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रकाश चन्द पान्टा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 28 / 13 ऑफ 2025 ता0 मजरुआ : 09-06-2025

श्रीमती संगीता देवी पुत्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी धामला, डा० सनौरा, उप—तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—Proclamation u/s-37 (1) of H.P. Land Rev. Act, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संगीता देवी पुत्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी धामला, डा० सनौरा, उप—तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता० 38 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनका कथन है कि उसका असल नाम संगीता देवी पुत्री जोगेन्द्र सिंह है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ ब्यान हिल्फया, आधार कार्ड, नकल परिवार रिजस्टर, राशन कार्ड प्रति, बैंक पासबुक प्रति, वोटर कार्ड प्रति संलग्न की है। परन्तु राजस्व अभिलेख मोहाल धामला के खाता / खतौनी नं० 19 / 68 व 32 / 126 में संगीता देवी पुत्री जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर चिन्टी पुत्री जोगेन्द्र सिंह हो गया है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मोहाल उपरोक्त की मलकीयत भूमि में चिन्टी पुत्री जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर चिन्टी उर्फ संगीता पुत्री जोगेन्द्र सिंह करवाना चाहती है। चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थिया का कथन है।

अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में चिन्टी पुत्री जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर चिन्टी उर्फ संगीता पुत्री जोगेन्द्र सिंह करने बारे किसी का कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 09–08–2025 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप–तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत इन्द्राज के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 09-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील पझौता स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 4 / CN of 2025

तारीख मजरुआ : 06-06-2024

तारीख पेशी : 01-07-2025

प्रार्थी श्री जय प्रकाश पुत्र बीर सिंह, निवासी नारायण, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बरुये नाम दुरुस्ती मौजा जरग, तहसील ददाहू।

प्रार्थी / वादी श्री जय प्रकाश पुत्र बीर सिंह, निवासी नारायण, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका वास्तविक नाम जय प्रकाश पुत्र बीर सिंह है जोिक उसके अन्य समस्त रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन मौजा नारायण, पटवार वृत्त ददाहू में दौरान इंतकाल इसका नाम काका पुत्र बीर सिंह दर्ज हो गया है जोिक गलत है। दावा किया गया है कि इसका जन्म घर पर ही हुआ था तथा इन्हें काका नाम से जाना जाता है परन्तु प्रार्थी का सही नाम जय प्रकाश ही है जिसे नियमानुसार राजस्व विभाग मौजा नारायण, पटवार वृत्त ददाहू में दुरुस्त किया जाना उचित व आवश्यक है।

सेहत नाम के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे—सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 05—08—2025 को सहायक समाहर्ता ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – (सुरेश कुमार) सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू,

जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 22-03-2025

प्रार्थी श्री अली शेर पुत्र स्व0 श्री कालू दीन, निवासी गांव हरलू डमूथ, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

तारीख मजरुआ : 22-04-2025

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बरुये नाम दुरुस्ती मौजा जरग, तहसील ददाहू।

मिसल नं0 : 3 / CN of 2025

प्रार्थी / वादी श्री अली शेर पुत्र स्व० श्री कालू दीन, निवासी गांव हरलू डमूथ, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका वास्तविक नाम अली शेर है जोिक उसके अन्य समस्त रिकॉर्ड में दर्ज है। लेिकन मौजा जन्दर बनूना, पटवार वृत्त नेहर—स्वार में दौरान इंतकाल इसका नाम शेर अली पुत्र स्व० श्री कालू दीन दर्ज हो गया है जोिक गलत है। दावा किया गया है कि इसका जन्म घर पर ही हुआ था तथा सही नाम अली शेर ही है जिसे नियमानुसार राजस्व विभाग मौजा जन्दर बनूना, पटवार वृत्त नेहर—स्वार में दुरुस्त किया जाना उचित व आवश्यक है।

सेहत नाम के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे—सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 05—08—2025 को सहायक समाहर्ता ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11–07–2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – (सुरेश कुमार) सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र०)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 2 / CN of 2025

तारीख मजरुआ : 21-04-2025

तारीख पेशी : 01–07–2025

प्रार्थी श्री चेत राम पुत्र चिंगु निवासी गांव धार टारण, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बरुये नाम दुरुस्ती मौजा जरग, तहसील ददाहू।

प्रार्थी / वादी श्री चेत राम पुत्र चिंगु, निवासी गांव धार टारण, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका वास्तविक नाम चेत राम पुत्र चिंगु है जोिक उसके अन्य समस्त रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन मौजा धार टारण, पटवार वृत्त खाला क्यार में दौरान इंतकाल इसका नाम चेतु पुत्र चिंगु दर्ज हो गया है जोिक गलत है। दावा किया गया है कि प्रार्थी को स्थानीय लोगों द्वारा चेतु नाम से ही पुकारा जाता है परन्तु प्रार्थी का सही नाम चेत राम है जिसे नियमानुसार राजस्व विभाग मौजा धार टारण, पटवार वृत्त खाला क्यार में दुरुस्त किया जाना उचित व आवश्यक है।

सेहत नाम के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे—सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 05—08—2025 को सहायक समाहर्ता ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11-07-2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – (सुरेश कुमार) सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Jaggit Singh s/o Sh. Amar Singh, r/o V.P.O. Bhadrena, Ward No. 9, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 declare that I have changed my son's name from Nirbhay Jeet Singh to Nirbhayjeet Singh. Nirbhay Jeet Singh & Nirbhayjeet Singh is the same boy. All please note this.

JAGGIT SINGH s/o Sh. Amar Singh, r/o V.P.O. Bhadrena, Ward No. 9, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061.

I, Saina Devi w/o Jagat Nath, r/o Village Dhelu Har (73) Dohag, Tehsil Joginder Nagar District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Saina Devi to Misro. All concerned please note for further.

SAINA DEVI w/o Jagat Nath, r/o Village Dhelu Har (73) Dohag, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dhanveer Singh s/o Sh. Jeet Singh, r/o Village Diyari, P.O. Pujali, Tehsil Badkor Uttrakashi, District Diyali, Uttrakhand-249 141 residing at Village Chauri, P.O. & Tehsil Narag, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Anjali to Kumari Anjali.

DHANVEER SINGH s/o Sh. Jeet Singh, r/o Village Diyari, P.O. Pujali, Tehsil Badkor Uttrakashi, District Diyali, Uttrakhand-249 141.

CHANGE OF NAME

I, Urmila Kumari Somai Magar w/o Sh. Nitin Kumar, r/o Ward No. 7, V.P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Tulsi Bagale to Urmila Kumari Somai Magar. Concerned note.

URMILA KUMARI SOMAI MAGAR w/o Sh. Nitin Kumar, r/o Ward No. 7, V.P.O. Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Urmila w/o Parkash Chand, Village Karali, P.O. Dansa, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that my son's name is Himashu Kumar in the Aadhar Card, whereas it is Himanshu in the Panchayat records. Himanshu name should be corrected.

URMILA w/o Parkash Chand, Village Karali, P.O. Dansa, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Roshan Lal s/o Late Sh. Jyoti Ram, r/o Village Arpu, P.O. Kirti, Tehsil Kotgarh, District Shimla (H.P.)-172 030 declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Purtish which should be corrected as Pratyush. Please correct this.

ROSHAN LAL s/o Late Sh. Jyoti Ram, r/o Village Arpu, P.O. Kirti, Tehsil Kotgarh, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jyoti w/o Sh. Sanjay, r/o Amar Cottage Hari Niwas, Keleston Road Longwood Shimla (H.P.) Pin 171 001 declare that I have changed my minor son's name from Kartik (old name) to Vikalp (new name). All concerned please may note.

JYOTI w/o Sh. Sanjay, r/o Amar Cottage Hari Niwas, Keleston Road Longwood Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Mukund Lal s/o Badhru Ram, Village Rahnu, P.O. Kareri, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that my name in Aadhar card is Mukand Lal, whereas in Panchayat records it is Mukund Lal. The name Mukund Lal should be corrected.

MUKUND LAL s/o Badhru Ram, Village Rahnu, P.O. Kareri, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manorma w/o Jeet Ram, r/o V.P.O. Burua, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Moru Devi in Aadhar card. Now I intend to correct my name as Manorma in Aadhar Card. Concerned note it.

MANORMA w/o Jeet Ram, r/o V.P.O. Burua, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

I, Umesh Gupta s/o Sh. S.P. Gupta aged about 56 years, r/o Prakash Kunj Khalini, Shimla (H.P.)-171 002 declare that in my Aadhar Card and Pan Card my name figure as Umesh Gupta and in share certificate bearing folio No. E0135123 my name figure as Umesh Kumar Gupta. That I Umesh Gupta and Umesh Kumar Gupta is one and the same person.

UMESH GUPTA s/o Sh. S.P. Gupta, r/o Prakash Kunj Khalini, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Narita Devi Mother of No. 15715541X Ex L/Nk (OCC) Late Naresh Kumar, r/o Village Jukain, P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) have changed my name from Narita Thakur to Narita Devi in my son's service record *vide* affidavit dated 14-07-2025 before District Court Sarkaghat, Mandi.

NARITA DEVI m/o Late Naresh Kumar, r/o Village Jukain, P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nalneesh Gupta s/o Sh. Ved Parkash, residing at Sawan Niwas, Tunnel View, Sanjauli, Shimla-171 006 have changed my name to Nalneesh Singh *vide* affidavit number HP48481612726315X.

NALNEESH GUPTA s/o Sh. Ved Parkash, residing at Sawan Niwas, Tunnel View, Sanjauli, Shimla.

CORRECTION OF NAME

I, Shivani aged about 32 years w/o Sh. Vinay Kumar, r/o Village and P.O. Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176 125 declare that my daughter's name has been wrongly recorded in the Aadhar Card No. 6642 8264 8188 as Bhaibavi in place of Bhairavi. Whereas my daughter's correct name is Bhairavi. All concerned please may note.

SHIVANI w/o Sh. Vinay Kumar, r/o Village and P.O. Dhanag, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Sh. Milkhi Ram, r/o V.P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Login Sangla which should be corrected to as Lovin Sangla. Please correct this.

RAKESH KUMAR s/o Sh. Milkhi Ram, r/o V.P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Saroj Kumari w/o Sh. Surjeet, r/o Village Kimdhar, P.O. Sargha, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Saroja which should be corrected as Saroj Kumari. Please correct this.

SAROJ KUMARI w/o Sh. Surjeet, r/o Village Kimdhar, P.O. Sargha, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tulsi Devi w/o Sh. Sarveen, r/o Moh Tihai, Niloha, Meerut (U.P.) presently residing at Badripur, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Himanshi to Mansi, as it has been wrongly mentioned in her Aadhar Card. Please note.

TULSI DEVI w/o Sh. Sarveen, r/o Moh Tihai, Niloha, Meerut (U.P.) presently residing at Badripur, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Deepa Shyam w/o Sh. Har Jeet Singh Shyam, Village Gopalpur, P.O. Kartot, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Athrav Shyam which should be corrected as Athrava Shyam. Please correct this.

DEEPA SHYAM w/o Sh. Har Jeet Singh Shyam, Village Gopalpur, P.O. Kartot, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

I, Neshari Devi d/o Late Sh. Hukkam Singh, w/o Sh. Harsh Vardhan Singh, r/o SML R, Hari Niwas, Dingudhar, Sanjauli, Shimla-6 (H.P.) presently residing at Shimla Technologies, 1st Floor, Gautam Niwas, Cemetary Road, Tehsil & District Shimla (R) (H.P.) have changed my name from Neshari Devi to Nisha Singh. In this regard I have completed all legal proceedings by filing Civil Suit No. 111-1 of 2022, CIS No. CS/65/2022, instituted on 13-07-2022 & decided on 20-08-2024 in the Court of Civil Judge, Court No. 6, District Court Chakkar, Shimla (H.P.). All concerned please may note.

NESHARI DEVI d/o Late Sh. Hukkam Singh, w/o Sh. Harsh Vardhan Singh, r/o SML R, Hari Niwas, Dingu Dhar, Sanjauli, Shimla-6 (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarita w/o Late Sh. Sanjiv Kumar, r/o Sahil Niwas, Rajgarh Road, Kotlanala, Ward No. 11, Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Sarita Thakur to Sarita & my husband's actual and correct name is Sanjiv Kumar instead of Sanjeev Kumar and my son's actual & correct name is Divyansh Kumar instead of Divyansh.

SARITA w/o Late Sh. Sanjiv Kumar, r/o Sahil Niwas, Rajgarh Road, Kotlanala, Ward No. 11, Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Prem Raj s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Jagot, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.) declare that my son's name is Utkrish in the Aadhar Card, while it is Uttkarsh in the Panchayat records. The name Uttkarsh should be corrected.

PREM RAJ s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Jagot, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla (H.P.).

I, Layak Ram s/o Late Sh. Mani Ram, r/o Village Kuhal, P.O. Deothi, Tehsil Rampur, District Shimla-172 022 (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Payush which should be corrected as Piyush. Please correct this.

LAYAK RAM s/o Late Sh. Mani Ram, r/o Village Kuhal, P.O. Deothi, Tehsil Rampur, District Shimla-172 022 (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanki w/o Sh. Jeena Singh, r/o Village Runkali Godhan, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Sanki to Sufi. Please note all concerned for futher.

SANKI w/o Sh. Jeena Singh, r/o Village Runkali Godhan, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pramod s/o Sh. Budh Ram, r/o Village Batali, P.O. Kartot, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.)-172 201 declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Parmod which should be corrected as Pramod. Please correct this.

PRAMOD s/o Sh. Budh Ram, r/o Village Batali, P.O. Kartot, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mahender Bisht s/o Sh. Rangam Prashad Bisht, r/o Village Kathala Johari, P.O. Daron-Deoria, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Mahender Bisht to Mahendra Bahadur Chand. Please note all concerned for further.

MAHENDER BISHT s/o Sh. Rangam Prashad Bisht, r/o Village Kathala Johari, P.O. Daron-Deoria, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

I, Davinder Kumar s/o Late Sh. Sant Ram, r/o Village Matnoh, P.O. Swarghat, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Radha to Radhika Thakur. All concerned note.

DAVINDER KUMAR s/o Late Sh. Sant Ram, r/o Village Matnoh, P.O. Swarghat, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:secysec-hp@nic.in

CORRIGENDUM

Dated, the 25th July, 2025

No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-2506-17.—In continuation to this Commission Notification No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-2578-2745, dated 04th July, 2025. The date at the third line of the first paragraph may be read as 24th May, 2025 instead of 24th June, 2025.

Sd/-(SURJEET SINGH RATHORE), Secretary, State Election Commission, H. P. Shimla-2.